(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 4206–दो/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.10.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 1107/अ–27/2011–12

भगवानदास तनय श्री छोटेलाल यादव
निवासी ग्राम तिगौड़ा तह0 शाहगढ़
जिला सागर (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. सुखलाल तनय छोटेलाल यादव
2. शंकरलाल तनय श्री छोटेलाल यादव
   दोनों निवासी ग्राम तिगौड़ा तह0 शाहगढ़
   जिला सागर (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप गोस्वामी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.एस. निगम

आदेश

(आज दिनांक 20/02/2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1107/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अनावेदकगण

द्वारा खसरा नं. 43, 47, 50 एवं 51 का आपसी बंटवारा हेतु नायब तहसीलदार शाहगढ़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 20.05.2003 द्वारा बंटवारा किए जाने के आदेश दिए। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक क. 1 द्वारा अपील की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 14.06.2012 को आदेश पारित करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश अपास्त किया गया एवं हल्का पटवारी को उभयपक्षों को सूचित कर मौका जांच उपरांत विवादित भूमि में अंश एवं कब्जे के आधार पर पंचनामा फर्द प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किए जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण दिनांक 03.07.2012 के लिए नियत किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22.01.2018 को 15 दिवस का समय दिया गया था, किंतु आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण संहिता की धारा–178 के तहत बंटवारे का है। अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण की संपूर्व विवेचना करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया एवं पटवारी को उभयपक्षों को सूचित कर मौका जांच उपरांत विवादित भूमि में अंश एवं कब्जे के आधार पर पंचनामा, फर्द प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए एवं प्रकरण दिनांक 03.07.2012 के लिए नियत किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने

निरस्त की है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हल्का पटवारी से प्राप्त फर्द का प्रकाशन नहीं किया गया है। फर्द नक्शा पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त त्रुटियों के कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित मानते हुए अपील को निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रकरण का निराकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर